

बनाम

मांगीलाल पुत्र नथाराम जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चुरु।

-प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित- 01. तहसीलदार, बीदासर
02. मांगीलाल

-वादी
-प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 20.09.2016

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम कल्याणसर के विवादित खसरा नम्बर 69 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 00-01 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नम्बर 79/409 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 550/79 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नम्बर 552/245 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नम्बर 554/247 रकबा 01-00 बीघा कुल खसराजात 13 कुल रकबा 13-08 बीघा में लगभग काफी पुराने वक्त से मौके पर आबादी बनी हुई है अतः इन खसरों की खातेदारी निरस्त कर आबादी में दर्ज करने की कृपा करें।

जमाबंदी ग्राम कल्याणसर सम्वत 2069-2072 में खाता संख्या पुराना 40 नया 48 में खसरा नम्बर 69 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 00-01 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नम्बर 79/409 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 550/79 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नम्बर 552/245 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नम्बर 554/247 रकबा 01-00 बीघा कुल खसराजात 13 कुल रकबा 13-08 बीघा में मांगीलाल पुत्र नथाराम जाति जाट साकिन कल्याणसर खातेदार दर्ज है।

उक्त खसरों में बहुत पुराने वक्त से मौके पर आबादी बसी हुई है यानी भूमि का गैर कृषि (आबादी) उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि पर खरीददारों द्वारा पक्के मकानात, नोहरे व बाड़े बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में भूमि आवास के रूप में काम में ली जा रही है। जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट पटवारी संलग्न है। अतः उक्त खसर नम्बरान की भूमि को खातेदारी भूमि से हटाकर सिवाय चक घोषित किया जाये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरीये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील होने के उपस्थित नहीं आया जिसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजपैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। जमाबंदी ग्राम कल्याणसर सम्वत 2069-2072 में खाता संख्या पुराना 40 नया 48 में खसरा नम्बर 69 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 76 रकबा 00-01 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नम्बर 79/409 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 550/79 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नम्बर 552/245 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नम्बर 554/247 रकबा 01-00 बीघा कुल खसराजात 13 कुल रकबा 13-08 बीघा में मांगीलाल पुत्र नथाराम जाति जाट साकिन कल्याणसर खातेदार दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा देखे गये मौके व रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिये न होकर अकृषि कार्य के लिए किया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बरान में लगभग 30 परिवार निवास कर रहे जिसमें कुछ ने पक्के मकानात व कुछ ने पट्टी आदि लगाकर बाड बंदी कर रखी है।



उपस्थित अधिकारी
बीदासर (चुरु)

राजपैरोकार द्वारा प्रेषित फर्द दिनांक 18.05.2016, मोमिया ट्रेस नक्शा, मांगीलाल पुत्र नथाराम खातेदार का जमाबंदी तपसु
का गहनता से अवलोकन किया। जमाबंदी ग्राम कल्याणसर सम्वत 2069-72 में खाता संख्या पुराना 40 व नया 48 में खसरा
नम्बर 69 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 72
रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा
00-05 बीघा खसरा नम्बर 76 रकबा 00-01 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 00-06 बीघा, खसरा नम्बर 79/409 रकबा 00-02
बीघा, खसरा नम्बर 550/79 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नम्बर 552/245 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नम्बर 554/247 रकबा
01-00 बीघा कुल खसराजात 13 कुल रकबा 13-08 बीघा में मांगीलाल पुत्र नथाराम जाति जाट साकिन देह कल्याणसर
खातेदार दर्ज हैं। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का भूमि रूपांतरण करवाये बिना ही उक्त भूमि का उपयोग कृषि से अकृषि में कर
लिया है। जिसकी ताईद हलका पटवारी की फर्द, राजपैरोकार का प्रार्थना पत्र, व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से
होती है। इस प्रकार कृषि भूमि का उपयोग अकृषि में किये जाने का अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। कोई भी खातेदार कृषि
भूमि पर बिना लैण्ड होल्डर की सक्षम अनुमति के किसी प्रकार का कृषि कार्य तो कर सकता है परन्तु अकृषि का कार्य नहीं
कर सकता। यदि किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया जाता है तो लैण्ड होल्डर व कृषक के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन
माना जाता है।

अप्रार्थी ने भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लैण्ड होल्डर व कृषक के बीच हुए
अनुबंधों को भंग किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में दिये गये प्रावधान के अनुसार:-

"(b) he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he
is by special contract which in not contrary to the provisions of this Act: liable to be ejected:" के
अनुसार अप्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल किया जाना व विवादित भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक दर्ज
किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र नथाराम
कौम जाट की खातेदारी के खसरा नम्बर 69 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा
00-07 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा
00-05 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 00-05 बीघा खसरा नम्बर 76 रकबा 00-01 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 00-06
बीघा, खसरा नम्बर 79/409 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 550/79 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नम्बर 552/245 रकबा
01-08 बीघा, खसरा नम्बर 554/247 रकबा 01-00 बीघा कुल खसराजात 13 कुल रकबा 13-08 बीघा जिस पर आबादी
बसी हुई है, की खातेदारी खारिज की जाती है। उपरोक्त खसरा नम्बर 69 रकबा 00-10 बीघा, खसरा नम्बर 70 रकबा 00-05
बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 00-07 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 00-02 बीघा, खसरा
नम्बर 74 रकबा 00-05 बीघा, खसरा नम्बर 75 रकबा 00-05 बीघा खसरा नम्बर 76 रकबा 00-01 बीघा, खसरा नम्बर 77
रकबा 00-06 बीघा, खसरा नम्बर 79/409 रकबा 00-02 बीघा, खसरा नम्बर 550/79 रकबा 08-10 बीघा, खसरा नम्बर
552/245 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नम्बर 554/247 रकबा 01-00 बीघा कुल खसराजात 13 कुल रकबा 13-08 बीघा
भूमि को सिवाय चक घोषित कर अप्रार्थी व काबिज को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बीदासर को
आदेश की पालना वास्ते अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 20.09.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर (चूड़)